(15)

पुलिस मुख्यालय, मध्य प्रदेश भोपाल

क्रमांक–पु0मु0 / कल्याण / टी–6 / 685 / 2024

दिनांक– 07 / 06 / 2024

प्रति,

समस्त पुलिस इकाईयॉ,
मध्य प्रदेश ।

विषय– शिक्षा निधि नियमावली वर्ष 2023–24 में अध्ययनरत कक्षा हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने के संबध में।

संदर्भः– इस कार्यालय के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक / पु0मु0 / कल्याण / टी–6 / 669 / 2020 दि0–01 / 06 / 2020 एवं पु0मु0 / कल्याण / टी–6 / 602 / 2021 दि012 / 05 / 2021 तथा क्रमांक पु0मु0 / कल्याण / टी–6 / 1252 / 2021 दिनांक–7 / 09 / 2021 के संबंध में।

कृपया विषयांतर्गत संदर्भित परिपत्रो का अवलोकन करने का कष्ट करे। शिक्षा सत्र 2023–2024 के प्रस्ताव संदर्भित परिपत्र में दिये गये निर्देशो का पालन करते हुये संलग्न प्रोफार्मा में आवश्यक पूर्ति की जाकर तथा प्रकरणो का निम्न तालिक के दर्शित मापदण्ड के परीक्षण उपरांत संबधित जोन / रेंज अधिकारी की अनुशंसा के साथ इस कार्यालय को प्रेषित किये जाए–

क	कोर्स	शिक्षा निधि राशि स्वीकृत किये जाने का मापदण्ड
1	11वी एवं 12वी	60 प्रतिशत से 84 प्रतिशत तक 2500 / –तथा 84 प्रतिशत से अधिक के लिये 4000 / –
2	स्नातक कोर्स	प्रायवेट एवं शासकीय महाविद्यालय मे अध्ययरत होने पर ट्यूशन फीस अथवा रू–7,500 / – दोनों में से जो राशि कम हो **(सभी कोर्स में 60 प्रतिशत से अधिक होने पर ही पात्रता होगी)**
3	स्नातकोत्तर कोर्स	प्रायवेट एवं शासकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत होने पर ट्यूशन फीस अथवा रू–10,000 / – दोनों में से जो राशि कम हो। **(सभी कोर्स में 60 प्रतिशत से अधिक होने पर ही पात्रता होगी)**
4	तकनीकी कोर्स हेतु	प्रायवेट महाविद्यालय में अध्ययनरत होने पर आरजीपीवी शा0 महाविद्यालय द्वारा निर्धारित टयुशन फीस एवं शासकीय महाविद्यालय मे अध्ययनरत होने पर संबधित शासकीय महाविद्यालय की टयुशन फीस अथवा 75,000 / –दोनो में से जो राशि कम हो स्वीकृत होगी। **(सभी कोर्स में 60 प्रतिशत से अधिक होने पर ही पात्रता होगी।)**
5	एमबीबीएस एवं अन्य मेडिकल कोर्स हेतु	प्रायवेट महाविद्यालय में अध्ययनरत होने पर शास गॉधी मेडिकल कॉलेज महाविद्यालय द्वारा निर्धारित टयुशन फीस अथवा 75,000 / –दोनो में से जो राशि कम हो, एवं शासकीय महाविद्यालय मे अध्ययनरत हाने पर संबधित शासकीय महाविद्यालय की टयुशन फीस अथवा 75,000 / –दोनो में से जो राशि कम हो स्वीकृत होगी। (सभी कोर्स में 60 प्रतिशत से अधिक होने पर ही पात्रता होगी।)

दिशा निर्देश–

1– शैक्षणिक सत्र जुलाई–2023 से जून–2024 की फीस रसीद। यदि शिक्षण पद्धति सेमेस्टर प्रणाली की है तो दोनो सेमेस्टर की फीस रसीद संलग्न की जायें।

2– यदि आवेदक द्वारा फीस का भुगतान डिजिटल पेमेंट द्वारा किया गया है, तो प्राप्त रसीद स्वयं अभिप्रमाणित की जाकर प्रकरण के साथ संलग्न की जाये।

3– शिक्षा सत्र 2023–24 में उत्तीर्ण की गयी कक्षा की अंकसूची संलग्न की जाये।

4– शिक्षा निधि फार्म में पूर्व में शैक्षणिक संस्था / संस्थान से प्रमाणीकरण किया जाता है शिक्षा सत्र 2023–2024 हेतु उक्त प्रकिया समाप्त की जाकर संबंधित कर्मचारी द्वारा संलग्न प्रपत्रों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की जाना है।

5– प्रायः यह देखने में आया है कि पुलिस इकाईयो में पदस्थ अनेक अधिकारी एवं कर्मचारियो को शिक्षा निधि प्रतिपूर्ति के संबध में जानकारी नही होने के कारण पात्र अधिकारियो एवं कर्मचारियो के द्वारा भी शिक्षा निधि स्वीकृत किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत नहीं किये जाते है। जिससे उक्त पात्र अधिकारी एवं कर्मचारी शिक्षा निधि के लाभ से वंचित रह जाते है। इस संबध में सभी कर्मचारियो को शिक्षा निधि के संबध में जानकारी प्रदाय करने तथा जागरूक करने हेतु पुलिस मुख्यालय द्वारा पूर्व में भी परिपत्र जारी कर निर्देशित किया गया है। इसके बाद भी पुलिस इकाईयों में पदस्थ अधिकारी एवं कर्मचारी की संख्या की तुलना में शिक्षा निधि हेतु कम प्रकरण पुलिस मुख्यालय मे प्राप्त हो रहे है।

अतः शिक्षा निधि स्वीकृति के संबध में आपके अधिनस्थ पदस्थ समस्त अधिकारी / कर्मचारी जानकारी प्रदान कर पात्र अधिकारी / कर्मचारी का शिक्षा निधि प्रतिपूर्ति हेतु प्रकरण पुलिस मुख्यालय भेजने का कष्ट करे।

(अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कल्याण / लेखा द्वारा अनुमोदित)

संलग्नः– शिक्षा निधि फार्म 2023–2024(अ एवं ब)

7.6.24

(डॉ0 अंशुमन अग्रवाल)
सहायक महानिरीक्षक(कल्याण)
पुलिस मुख्यालय भोपाल

क्रमांक–पु0मु0 / कल्याण / टी–6 / 685 / 2024

दिनांक– 07 / 06 / 2024

प्रतिलिपिः–कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषितः–

" नवीन शिक्षा निधि " अंतर्गत राशि स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र (2023-2024)

1	कर्मचारी का नाम			
2	पद			
3	तैनाती इकाई			
4	मूल वेतन			
5	वेतन आहरण इकाई का नाम			
6	पुत्र/पुत्री का नाम			
7	उत्तीर्ण कक्षा			
8	कोर्स का नाम-			
	तकनीकी/गैरतकनीकी-			
	समयावधि- (त्रिमासिक/छमाही अथवा 1वर्षीय/2वर्षीय/3वर्षीय/4वर्षीय)			
	विद्यालय/महाविद्यालय का नाम-			
	पता-			
9	(शासकीय/अशासकीय/स्वाशासकीय)-			
10	उत्तीर्ण कक्षा सत्र का प्राप्तांक	कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत (%)
11	संलग्न प्रपत्र	१- फीस की रसीद- ....पृष्ठ संख्या................. २- अंकसूची-.................. .... ३- वेतन पर्ची..............		
12	आवेदक के बैंक का नाम	खाता क्रमांक	आईएफएससी कोड	

आवेदक कर्मचारी का प्रमाण पत्र

मै..पदनाम ....प्रमाणित करता हूँ / करती हूँ कि उक्त कक्षा के अनुदान हेतु प्रथम बार आवेदन दिया है तथा उपरोक्त कॉलमों में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि असत्य पाई जाये तो दिया गया समस्त शिक्षा अनुदान एक मुश्त मेरे वेतन से वसूल किया जाकर मेंरे विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु सहमत हूँ ।

आवेदक के हस्ताक्षर/दिनांक

मोबाईल नम्बर-..................

इकाई प्रमुख की प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त समस्त दी गई जानकारी का परीक्षण कर लिया गया है, जो कि पूर्णतः सत्य है। आवेदक...पदनाम..की पुत्र/पुत्री को पात्रतानुसार राशि रूपये ....शिक्षण शुल्क की पात्रता है। आवेदक का शिक्षा सत्र...................... हेतु अनुदान का आवेदन पत्र पूर्व में नहीं भेजा गया है।

इकाई प्रमुख का नाम/ हस्ताक्षर / दिनांक एवं सील